दिनांक 01 अक्टूबर 2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

शुभम कॉलोनी क्षेत्र के 03 एकड़ में हो रही थी अवैध प्लाटिंग की तैयारी, निगम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के कोहका क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जोन क्रमांक 01 के वार्ड 09 शुभम कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मुरूम से निर्माण किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से ध्वस्त कर मूल स्वरूप में तब्दील किया गया। मौके से 6 हाइवा मुरम जप्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध निर्माणकर्ता , अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग तथा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों पर बेदखली की कार्यवाही की गई है, हाल ही में जुनवानी में भी कार्यवाही की गई है तथा एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र भी प्रेषित किया गया है। निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग , अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं जिस पर जोन आयुक्त जोन क्रमांक एक सुनील अग्रहरि के निर्देशन में आज कोहका क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है। निगम का अमला छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न उप नियमों के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत शुभम कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे प्लाटिंग की रोकथाम करने निगम के अधिकारी/कर्मचारी पहुंचे और मुरूम से बनाए गए मार्ग संरचना को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया। वार्ड 09 के शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और कार्यवाही प्रारंभ किए! इस दौरान मौके पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जिस कारण जमीन मालिक का नाम पते की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिसकी जांच कराई जा रही है। जोन 01 के उप अभियंता अरविंद शर्मा ने बताया कि वार्ड 09 कोहका क्षेत्रांतर्गत शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग की टीम 01 जेसीबी और 03 हाइवा के साथ मौके पर कार्यवाही करने पहुंची! करीब 3-4 एकड़ जमीन पर मुरूम से मार्ग संरचना बनाकर अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी , जिसे जेसीबी से ध्वस्त करते हुए मूल स्वरूप तब्दील किया गया और मौके से 6 ट्रिप मुरूम जप्त किया गया। अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग में बेदखली की कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता अनिल सिंह सहित निगम भिलाई के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।